...किया जावे. गवाह को नोटिस देकर तलब किया जावे. पत्रावली आगामी दिनांक 11/12/17 को पेश हो।

11/12/17 पत्रावली पेश हुई. प्रार्थी व गवाहान उपस्थित। गवाहान श्री संतोख सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 38 GG तहसील पदमपुर और बलवन्तसिंह पुत्र दिलबाग सिंह जाति जटसिख निवासी 38 GG तहसील पदमपुर ने उपस्थित होकर वसीयत के सम्बन्ध में अपने बयान दर्ज करवाये, जो शामिल पत्रावली है. प्रार्थी ने उपस्थित होकर पत्रावली के साथ संलग्न कागजात को मूल कागजात से मिलान हेतु मूल कागजात प्रस्तुत किये, जो मिलान बाद पुन: लौटा दिये गये। पत्रावली आईन्दा दिनांक 28/12/17 को पेश हो।

Santokh Singh

Balwant Singh

28/12/17 पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई. पत्रावली के साथ संलग्न कागजात को गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया गया। वसीयत के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई. मुताबिक रिपोर्ट पटवारी आराजी चक 39GG मु०नं. 16/24 में 0.903 हैक. नहरी भूमि जोगेन्द्र सिंह पुत्र संपूरसिंह जाति मजहबी सा० देह के नाम से खातेदार दर्ज राजस्व अभिलेख है। उक्त रकबा खातेदारी दर्ज है। प्रश्नगत रकबा पैतृक है। कब्जा काश्त वसीयतनुसार है। रकबा OBC शाखा के रहन दर्ज है बैंक, नहीं है। प्रश्नगत रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं है और न ही किसी न्यायालय में वाद/विवाद विचाराधीन है। रकबा सीलिंग

अनवान...

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सीमा से प्रभावित नहीं है। रकबा किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित नहीं है। इस कार्यालय के पत्रांक/व.प./भू.अ./2017/1078-79 दिनांक 3/5/2017 को वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/एतराज हेतु सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र "सीमा संदेश" दिनांक 5/5/2017 के अंक में पृष्ठ संख्या 04 कालम संख्या 07 प्रकाशित की गई। सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र में आपत्ति/एतराज हेतु प्रकाशित होने के बाद आज दिनांक तक इस कार्यालय में कोई भी आपत्ति/एतराज आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुये है। वसीयत में दर्ज गवाहान श्री संतोख सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख और श्री बलवन्तसिंह पुत्र श्री शिवपाल सिंह जाति जटसिख के बयानानुसार वसीयतकर्ता जोगेन्द्र सिंह द्वारा वसीयत पूरे होश हवास हवास में, बिना किसी नशे पते के और बिना किसी दबाव के, अपनी पूर्ण स्वेच्छा से, अपनी पूर्ण रजामन्दी से और बिना किसी विवाद के वसीयत लिखवाई है। वसीयतकर्ता ने पूरे होश हवास में बिना किसी नशे पते के और बिना किसी दबाव के, की है। वसीयत को क्रियान्वित होने बाबत अपने बयान दर्ज करवाये है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहान के बयानात, रिपोर्ट पटवारी का गहन अध्ययन और मनन किया गया। राजस्थान भू अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 132(2) के तहत वसीयत की वैधता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की पटवारी हल्का को अन्तर्गत धारा 135(1) LR Act के तहत वसीयतनुसार राजस्व अभिलेख में अमल-दरामद हेतु पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफतर हो। तहसीलदार (भू.अ.)